# Construction workers can now avail free bus pass: Govt

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 4

THE DELHI government Wednesday announced free bus passes for construction workers for travel in Delhi Transport Corporation and cluster buses. The passes were distributed to some workers during an event at the Delhi Secretariat. This comes after they had announced free bus passes for all women in 2019.

Launching the 'Free Bus Travel Pass' initiative, Deputy Chief Minister Manish Sisodia said there are 10 lakh construction workers registered with the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, and that this move will benefit all these workers. "In Delhi, only a few construction workers get accommodation near their worksite while many others travel... from outskirts of the capital. This comes with a heavy price that they have to pay while travelling to work... Now you can comfortably go anywhere, work anywhere, you won't have to think about how much of your earnings will go in travel... You work comfortably, manage households, and spend the money saved on your families...," he said.

Construction workers can register for free passes on the DTC website or at one of the 34 registration booths set up by the construction worker's welfare board. "The bus pass will be provided on a quarterly basis to registered labourers and it costs Rs 2,280 for an e-pass and Rs 33 extra if any passenger wants a printed copy. So, overall the total cost will be Rs 228 crore for providing subsidy to 10 lakh workers. And this is only for three months," said an official from the transport department.

At the event, Rajkumar, a painter, said he needs to travel from Sultanpuri to Dwarka Sector 21 for work every day by taking three buses. Mohammad Shahood Alam, a construction worker, said he has to travel from Narela to Gurgaon or Faridabad, depending on work, which costs him Rs 150-Rs 200 every day.

"Every city is erected by its construction workers... But what often happens is that the hands which labour the most are not thought about by governments. But this AK (Kejriwal) government is perhaps the only (one) in the country which thinks first about the last people...," said Kalkaji MLA Atishi at the event.

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor criticised this move: "During the last 7 years, the Kejriwal government has added no new bus in DTC's fleet nor done anything to improve public transport. But it has played the free bus ticket game... for building vote bank, forcing people to travel in dangerous buses. Last month alone, 7 DTC buses have accidentally burnt... no loss of life was reported but tomorrow it may prove fatal."

# Businessman murder: Police to move application to try two juveniles as adults

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 4

A DAY after apprehending two juveniles for allegedly killing an elderly real estate businessman at his North Delhi residence and robbing Rs 11 lakh, the district police has decided to move an application seeking transfer of the case from the juvenile board to a Delhi court to treat them as "adults" for the crime. Special CP (law and order of North zone) Dependra Pathak said they are moving an application before the court concerned.

Pathak said one of the juveniles used to work at the victim's house as a domestic help two years ago, after his father, who also had worked there as a driver, recommended his name. But he was fired over allegations of theft and wanted to take revenge, Pathak added.

"He also wanted to earn easy money and sensed an opportunity as he was aware of the details of this family. He roped in his friend from his village and started planning the crime," Pathak said.

"He and his accomplice killed the victim on May 1. He was traced after scanning footage from hundreds of CCTV cameras and tracking his Metro card," he said, adding that they have recovered Rs 10,37,000, jewellery and a mobile phone purchased from the stolen amount, along with a stolen motorcycle.

# Consider transplanting trees before nod to cut them: HC

*New Delhi:* Observing that geographically distant compensatory plantation can hardly be of any respite or actual compensation, the Delhi High Court said tree officers in the capital must give due consideration to transplantation of each tree, which is sought to be cut, before granting any further permission for cutting of trees. "The reason for grant or denial of permission would have to be spelt out in order of tree officer along with photos of each tree," said Justice Najmi Waziri in an order.

The court passed the order after advocate Aditya N Prasad, who represents a petitioner in a contempt case alleging victimisation of trees along Vikas Marg during PWD construction work, submitted that a tree is cut down every hour in Delhi under official sanction. **ENS**


## पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

**CIRCLE SASTRA PATNA NORTH (8297), Patna**
**R-Block, 2nd Floor, Chanakya Place, Patna-800001**

**POSSESSION NOTICE**

**Possession Notice for Immovable Property in case of borrowers (For Immovable property)**

Whereas
The undersigned being the Authorised Officer of the **Punjab National Bank** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice(s) on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice(s).
The borrower/s having failed to repay the amount, notice(s) is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned each against account.
The Borrower's /Guarantor/Mortagagor's attention is invited to provision of sub-setion (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.
The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of **Punjab National Bank** for the amount and interest thereon. **(Amount in Rs.)**

| Sr. No. | Name of the Account/Guarantor/ Borrower/Branch | Owner of the property | Description of the property mortgaged | Date of Demand Notice | Date of Possession Notice Affixed | Amount outstanding as on date of Demand Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Sri Sanjay Kumar**, S/o Sri Baijnath Choudhary and **Sri Baijnath Choudhary** S/o Sri Kalpu Choudhary and Smt. Pratima Devi W/o Sri Baijnath Choudhary **BRANCH: MORCHA ROAD (291600)** **A/c No. 1775300520003** | Sri Baijnath Choudhary S/o Sri Kalpu Choudhary | EM of Land and Building situated at Mouza: Kumharar, Thana: Sultanganj, Present Thana: Agamkuan, Avar Registry Office: Patna City, Sadar Registry Office and Distt.: Patna, Tauzi No. 189, Present Tauzi- Bihar Sarkar, Thana No. 12, Khata No. 352, Survey Khesra Plot No. 1257(p), Jamabandi No. 2169/1, Jamindari Bihar Sarkar, Area-1 Katha (1361 sqft.) vide Sale Deed No. 1743 Dated 31.05.2001 pertaining to **Sri Baijnath Choudhary** s/o Sri Kalpu Choudhary, Boundry:- North: Smt. Anandi Devi, South: Niz Lekhyakarini, Part Khesra plot No. 1257, East: 5 feet Niz Common Rasta, West- Sri Gulten Yadav. | **15.01.2022** | **30.04.2022** | **₹ 10,76,717.00** (Rupees Ten Lakh Seventy Six Thousand Seven Hundred Seventeen Only) and interest thereon |
| 2. | **M/s Om Sai Enterprises**, Prop.- Smt. Rakhi Devi W/o Sri Bambam Kumar **BRANCH: BAIKATHPUR (131500)** **A/c No. 1315008700001280 131500SG00000062 131500IL00000199 131500CF00000467** | **Smt. Rakhi Devi** W/o Sri Bambam Kumar | EM of Land and Building situated At Mauza- Shahpur Bujurg, Thana & Anchal: Bakhtiyarpur, Sub Division and Sub Registry Office: Kasbe Barh, Sadar Registry Office and Distt.: Patna, Tauzi No. 2175, Thana No. 155, Khata No. 39, Khesra No. 55, Area- 19.4375 Decimal (6 Katha 4 Dhur 8 Dhurki) Vide Sale Deed No. 8009 Dated 05.12.2012 pertaining to **Smt. Rakhi Devi** W/o Sri Bambam Kumar, Boundry:- North- Vijay Singh, South- Rastriya Uchcha Path, East- Shyam Sunder Singh and Vijay Singh, West- Arjun Singh and Others. | **25.02.2022** | **30.04.2022** | **₹ 16,24,606.00** (Rupees Sixteen Lakh Twenty Four Thousand Six Hundred Six Only) and interest thereon |

**Date : 04.05.2022**
**Place : Patna**

**(Authorised Officer)**
**Punjab National Bank**



## इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड / INDIA OPTEL LIMITED
भारत सरकार का उद्यम / A Govt. of India Enterprise

**Advertisement for Company Secretary and Finance Professionals on Fixed Term Contract basis**

IOL,a DPSU under Ministry of Defence, GOI, is looking for enterprising & dynamic professionals to work as Company Secretary, Senior Manager (Finance & Accounts), Senior Manager (Audit & Compliance) & Finance Assistants in Corporate Hqrs. at Dehradun (Uttarakhand).

The interested candidates may download the detailed advertisement and Application Form from IOL website - **www.indiaoptel.in** under section **'Careers'** & **apply by 18.05.2022**.



## PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

**Regd. Office.: PSPCL Head Office, The Mall, Patiala**
**CIN: U40109PB2010SGC033813; Website: www.pspcl.in**
**(Contact No. 96461-07151)**

**Tender Inquiry No.564/GHTP/EMC/SSMC-43/Vol-14** **Dated: 04.05.2022**

Superintending Engineer/Electrical Maintenance Circle, Guru Hargobind Thermal Plant, lehra Mohabbat, invites E-Tender for Breakdown, Periodical, Preventive and Shut Down maintenance of 220 KV Switchyard, 66 KV Switchyard, 66 KV Sub station all Transformers and allied equipment like Superstructure, cables etc. of GHTP Stage-I & II and Operation & Maintenance of Transformer Oil filtration Sets under Substation Maintenance Cell, GHTP, Lehra Mohabbat, District: Bathinda, Punjab as per details given tender specification for a period of one year on lump-sum basis. For Detailed NIT & Tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 09.05.2022 from 11.00 AM onwards.

**Note:** Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

GHTP-22 13943/Pb



## बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001
वेबसाइटः bdabsr10@gmail.com

पत्रांकः 743/बु0वि0प्रा0/2022–23 दिनांकः 30.04.2022

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मै0 उत्तम स्टील एण्ड एसोसिएट्स (कन्सोर्शियम) द्वारा लगभग 2504 एकड़ भूमि पर स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप योजना में संशोधन करते हुए संशोधित डी0पी0आर0/विन्यास मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम–बील अकबरपुर (पार्ट), कैमराला चक्रसैनपुर, भोगपुर, चमरावली रामगढ़ एवं दतावली स्थित तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर पर विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित डी0पी0आर0/विन्यास मानचित्र क्षेत्रफल 1660 एकड़ पर जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बु0वि.प्रा0 कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। आपत्ति/सुझाव बु0वि0प्रा0 के कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कराये जा सकते हैं। नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर ही विचार किया जायेगा।

सचिव


# HC directs Twitter to take down Audrey Truschke's tweets

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 4

WITH HISTORIAN Dr Audrey Truschke not appearing in the proceedings initiated against her by historian Dr Vikram Sampath, the Delhi High Court has directed Twitter to take down five more tweets posted by her, which are allegedly defamatory in nature and linked to a letter, the publication of which was injuncted by the court in February.

"Despite ad interim injunction passed by this Court vide orders 18th February, 2022, and 24th February, 2022, the defendant no. 1 continues to post defamatory material against the plaintiff on the platform of the defendant no. 4/Twitter. Further, the defendant no. 1 has failed to enter appearance before this court," said Justice Amit Bansal in an order.

The order was passed after Sampath moved a fresh application seeking a direction for taking down further "defamatory tweets" posted by Truschke.

The court on February 18 had restrained Truschke, Dr Ananya Chakrabarti and Dr Rohit Chopra from further publication of their letter accusing Dr Sampath of plagiarism with respect to his two-volume biography of Vinayak Damodar Savarkar. On February 24 too, the court had directed Twitter to take down five of Truschke's tweets.

Sampath's suit pertains to the letter written by the three US-based academics on February 11 which was addressed to the Royal Historical Society where he is a fellow. They asked the society to subject Sampath's body of work to scrutiny.

Seeking damages of Rs 2 crore and 100 rupees and permanent injunction against the defendants, Sampath in his suit said that the letter was part of an "international smear campaign" to discredit him because "he has shown the academic courage and gumption to challenge the prevailing narrative around a historical figure". The court was told that he has given references to the work of other scholars wherever the same has been mentioned. The matter is listed for hearing on July 28.

**STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022**

(Rupees in Crores)

| S. NO. | PARTICULARS | STANDALONE | | | CONSOLIDATED | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUARTER ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2021 | YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2021 | YEAR ENDED MARCH 31, 2022 |
| 1. | Total income | 7,561.49 | 8,773.35 | 29,802.38 | 7,627.99 | 8,758.01 | 30,106.29 |
| 2. | Net Profit for the period before tax ( before Exceptional items ) | 802.21 | 1,129.12 | 3,250.13 | 785.73 | 1,146.54 | 3,058.11 |
| 3. | Net Profit for the period before tax (after Exceptional items ) | 802.21 | 1,129.12 | 3,250.13 | 785.73 | 1,146.54 | 3,058.11 |
| 4. | Net Profit for the period after tax (after Exceptional items ) | 627.05 | 864.97 | 2,473.02 | 620.56 | 885.28 | 2,329.05 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | 638.19 | 868.93 | 2,467.58 | 646.55 | 885.78 | 2,328.45 |
| 6. | Equity Share Capital (face value Rs. 2/- per share) | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | - | - | 15,742.96 | - | - | 15,806.69 |
| 8. | Earnings per share on net profit after tax - face value Rs. 2/- each (In Rupees) | | | | | | |
| | a) Basic | 31.38 | 43.30 | 123.78 | 30.59 | 44.10 | 115.96 |
| | b) Diluted | 31.37 | 43.28 | 123.74 | 30.59 | 44.08 | 115.93 |

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended financial results available on the Company's website www.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com
2. On May 03, 2022, the Board of Directors had considered and approved final dividend @ 1,750% i.e. Rs. 35 per equity share (face value of Rs.2 per equity share) for the financial year 2021-22. This dividend together with the interim dividend @ 3,000% i.e. Rs.60 per equity share, aggregating the total dividend for the year 2021-22 to Rs.95 per equity share i.e. 4,750%
3. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
4. The above results for the quarter and year ended March 31, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on May 03, 2022 and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 03, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors

**Dr. PAWAN MUNJAL**
Chairman & CEO
DIN : 00004223

New Delhi, May 03,2022

Regd. office :- The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, New Delhi- 110070 | CIN NO. L35911DL1984PLC017354 • Visit www.heromotocorp.com

WT.5026.2022



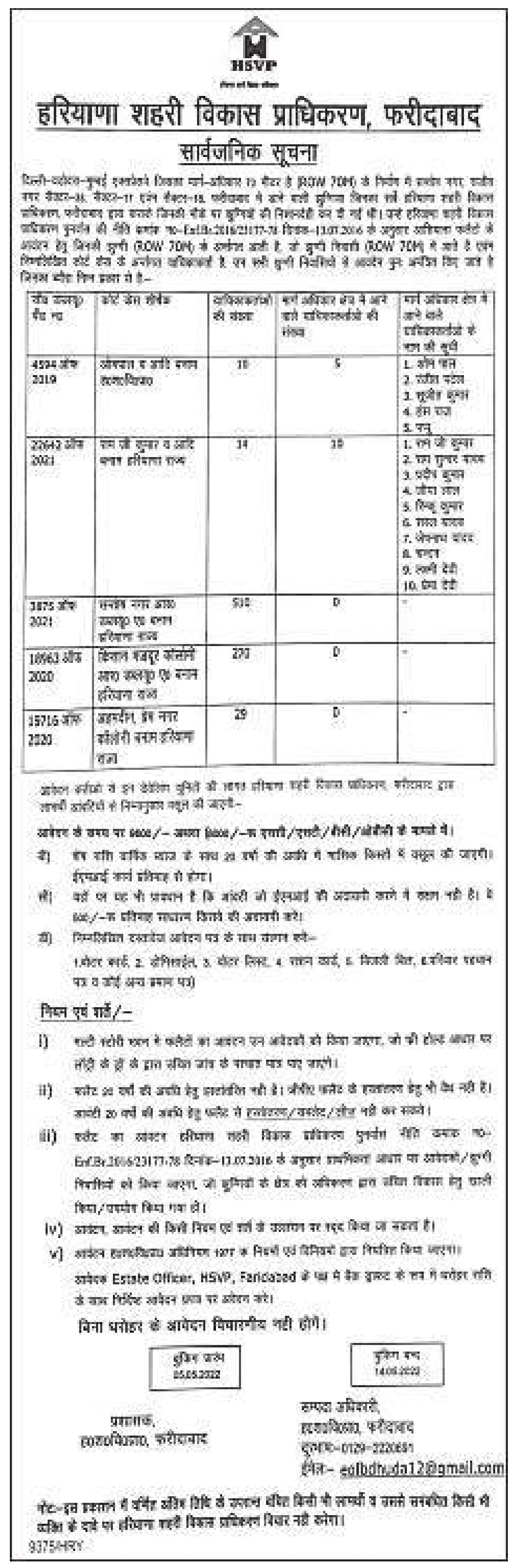
HSVP

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद

सार्वजनिक सूचना

### करीब 10 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ

## क्लस्टर व डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे दिल्ली के कामगार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 मई।

मजदूरों को अब दिल्ली में क्लस्टर व डीटीसी बस सेवा में मुफ्त बस सफर की सुविधा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, गार्ड आदि को मिलेगा। इसका लाभ दिल्ली के करीब 10 लाख कामगारों को मिलेगा।

सिसोदिया ने कहा कि बाबासाहेब का मानना था कि जिन्हें कुदरत से कम मिला है, उनके लिए सरकार बेहतर ढंग से काम करते हुए लाभकारी योजनाएं बनाए। बाबा साहेब के इस सपने को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों की बेहतरी व उन्हें सहयोग करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बहुत कम निर्माण श्रमिक हैं जिन्हें निर्माण स्थल के पास ही रहने की जगह मिलती है। श्रमिकों की यात्रा संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए व यात्रा खर्च बचाने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने उनके लिए मुफ्त बस यात्रा पास योजना की शुरुआत की है। इसके लिए कामगारों को डीटीसी वेबसाइट या इसके लिए दिल्ली भवन और निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू किए जा रहे 34 बूथ पर पंजीकरण करवाना होगा और इसके तुरंत बाद उन्हें पास दिया जाएगा। उन्हें पास बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी दिहाड़ी को गंवाने की और दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

रजिस्ट्रेशन के बाद सभी निर्माण श्रमिक अपने कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मातृत्व, पेंशन आदि का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

कालकाजी की विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा पहले से ही मुफ्त थी और अब इस पहल से निर्माण श्रमिक भी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे और प्रतिमाह 1500–2000 रुपए की बचत कर पाएंगे। यह राशि श्रमिक अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण–पोषण के लिए कर सकेंगे।

## दिल्ली में बिजली की मांग छह हजार मेगावाट के पार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 मई।

बीते कई दिनों से दिल्ली में बिजली की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुछ दिनों पहले जहां बिजली की अधिकतम मांग दोपहर करीब तीन बजे दर्ज की जाती थी। वहीं, बीते दो दिनों से बिजली की अधिकतम मांग रात करीब 11 बजे दर्ज हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार देर रात करीब 11:13 बजे पर बिजली की मांग 6237 मेगावाट दर्ज की गई थी, जो कि इस महीने में दूसरे दिन की सबसे अधिक मांग है। सोमवार रात करीब 11:30 बजे बिजली की मांग बढ़कर 6,247 मेगावाट तक पहुंच गई थी।

वहीं, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बिजली की मांग 6129 मेगावाट दर्ज की गई थी। हालांकि, बुधवार शाम को हुई बारिश के बाद दिल्लीवसियों को थोडे समय के लिए गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस भरी गर्मी की वजह से न्यूनतम मांग भी 4059 मेगावाट बुधवार शाम 7:00 बजे दर्ज की गई थी।

मांग और आपूर्ति में अंतर होने की वजह से राजधानी के कई इलाकों में लोगों को अघोषित बिजली कटौती से दो–चार होना पड़ रहा है। वहीं, मंगलवार की बात करें तो दिल्ली में बिजली की न्यूनतम मांग 3959 मेगावाट दर्ज की गई थी। यदि आगामी दो–तीन दिनों तक मौसम का यही हाल रहा तो दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ सकती है। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का दावा है कि इस साल दिल्ली में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

## 1607 औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में तब्दील किया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 मई।

प्रदूषण में कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1607 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में परिवर्तित कर दिया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उलंघन करते पाई जाएगी, तो उसपर सम्बंधित विभाग द्वारा उचित और सख्त कारर्वाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विभाग की टीमों ने गर्मियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। इसके तहत अभी तक 1280 औद्योगिक इकाइयों की जांच की जा चुकी है।

इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) द्वारा 7 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। फोर्स की जांच में सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित करने की जानकारी सामने आई है।

## हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए सर्वोपरि था राष्ट्र : नायडू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 मई।

वाणी प्रकाशन से प्रकाशित स्वतंत्रता सेनानी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आधिकारिक जीवनी 'हेमवती नंदन बहुगुणा : भारतीय जनचेतना के संवाहक' का लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निवास पर बुधवार को हुआ।

जीवनी को रीता बहुगुणा जोशी और राम नरेश त्रिपाठी ने साझे तौर पर लिखा है। लोकार्पण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा और वाणी प्रकाशन समूह के प्रबंध निदेशक अरुण माहेश्वरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल ने किया।

पुस्तक का लोकार्पण करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अनेक नायकों को इतिहास की पुस्तकों में वो सम्मान और स्थान नहीं मिला है जिसके वे अधिकारी थे। हमारे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास मातृभूमि के लिए असीम प्रेम की ऐसी अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। बहुगुणा जी छोटी आयु में ही आजादी की लड़ाई में कूद गए थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अनेक तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थीं।

हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपना सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर दिया। जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो पहले पहल बहुगुणा जी विद्रोही प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसे–जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं तब समझ आता है कि उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। बहुगुणा जी को गांधीवादी विचारों से प्रेरित बताते हुए, नायडू ने देश में आपातकाल लगाने के विरुद्ध उनके विरोध की सराहना की। उन्होंने बताया कि बहुगुणा जी समाज के दुर्बल वर्गो के प्रति संवेदना के उदाहरण हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बहुगुणा जी छात्र जीवन से ही गरीबों की आवाज बुलंद करते रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजातियों को भूमि वितरित की थी। इसलिए विनोबा जी ने उन्हें 'मिट्टी नंदन' की उपाधि दी थी।


पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

**कब्जा सूचना**
(अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

| क्र. सं. | (ए) शाखा का नाम/ (बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता | बंधक सम्पत्ति का विवरण | (ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि | मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (ए) शाखाः टी0पी0 नगर, मेरठ, (बी) मैसर्स ए आर इंटरप्राइजेज (सी) मैसर्स ए आर (प्रोपराइटर श्री असर अहमद पुत्र हकीमुद्दीन द्वारा प्रतिनिधित्व) मकान नं0 25, अखाड़े वाली गली, गोला कुआं, मौलाना आजाद रोड, मेरठ- 250002, श्री असर अहमद पुत्र हकीमुद्दीन (प्रोपराइटर), पताः मकान नं0 25, अखाड़े वाली गली, गोला कुआं, मौलाना आजाद रोड, मेरठ- 250002, श्री हकीमुद्दीन पुत्र श्री हाजी रहमान तुल्ला (गारन्टर एवं बंधककर्ता), मकान नं0 22, गोला कुआं, मौलाना आजाद रोड, मेरठ- 250002 | प्राथमिक सम्पत्तिः स्टॉक और बुक डेट्स एवं चालू और अचल सम्पत्ति। संपार्श्विक सम्पत्तिः एक आवासीय मकान नं0 22 स्थित आजाद रोड गोला कुआं, शम्भू दास गेट के सामने, मेरठ, उ0प्र0-250002, माप क्षेत्रफल 168.58 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री हकीमुद्दीन पुत्र हाजी रहमान तुल्ला। सीमाएँः- पूर्वः श्री महावीर भूषण की सम्पत्ति, पश्चिमः 6 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्री अब्दुल सत्तार की सम्पत्ति, दक्षिणः श्री बुद्ध प्रकाश की सम्पत्ति। | (ए) 15.12.2021 (बी) 02.05.2022 | रु0 55,13,131.66 + ब्याज दिनांक 01.04.2021 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो। |

दिनांक–04.05.2022 — स्थानः मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

**STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022**

(Rupees in Crores)

| S. NO. | PARTICULARS | STANDALONE | | | CONSOLIDATED | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUARTER ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2021 | YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2022 | QUARTER ENDED MARCH 31, 2021 | YEAR ENDED MARCH 31, 2022 |
| 1. | Total income | 7,561.49 | 8,773.35 | 29,802.38 | 7,627.99 | 8,758.01 | 30,106.29 |
| 2. | Net Profit for the period before tax ( before Exceptional items ) | 802.21 | 1,129.12 | 3,250.13 | 785.73 | 1,146.54 | 3,058.11 |
| 3. | Net Profit for the period before tax (after Exceptional items ) | 802.21 | 1,129.12 | 3,250.13 | 785.73 | 1,146.54 | 3,058.11 |
| 4. | Net Profit for the period after tax (after Exceptional items ) | 627.05 | 864.97 | 2,473.02 | 620.56 | 885.28 | 2,329.05 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | 638.19 | 868.93 | 2,467.58 | 646.55 | 885.78 | 2,328.45 |
| 6. | Equity Share Capital (face value Rs. 2/- per share) | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | - | - | 15,742.96 | - | - | 15,806.69 |
| 8. | Earnings per share on net profit after tax - face value Rs. 2/- each (In Rupees) | | | | | | |
| | a) Basic | 31.38 | 43.30 | 123.78 | 30.59 | 44.10 | 115.96 |
| | b) Diluted | 31.37 | 43.28 | 123.74 | 30.59 | 44.08 | 115.93 |

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended financial results available on the Company's website www.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com
2. On May 03, 2022, the Board of Directors had considered and approved final dividend @ 1,750% i.e. Rs. 35 per equity share (face value of Rs.2 per equity share) for the financial year 2021-22. This dividend together with the interim dividend @ 3,000% i.e. Rs.60 per equity share, aggregating the total dividend for the year 2021-22 to Rs.95 per equity share i.e. 4,750%
3. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
4. The above results for the quarter and year ended March 31, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on May 03, 2022 and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 03, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors

**Dr. PAWAN MUNJAL**
Chairman & CEO
DIN : 00004223

New Delhi, May 03,2022

Regd. office :- The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, New Delhi- 110070 I CIN NO. L35911DL1984PLC017354 • Visit www.heromotocorp.com

WT.5026.2022



pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोनः 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com
शाखा का पताः डी–2, सेक्टर–3, नोएडा, उ.प्र.–201301
फोन नं.: 0120–6511224–26, ई–मेलः noida@pnbhousing.com,

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)**

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

| क्रम सं. | ऋण खाता सं. | ऋणधारक/सह–ऋणधारक/ गारन्टर का नाम | मांग सूचना तिथि | बकाया राशि | कब्जा लेने की तिथि | गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NHL/NOI/ 0820/809900 बी.ओ.: नोएडा | रामचरण (ऋणधारक) एवं गायत्री (सह–ऋणधारक) | 15 सित. 21 | रु. 9,94,627.08 (रु. नौ लाख चौरानवे हजार छः सौ सत्ताईस तथा पैसे आठ मात्र) 15.09.2021 को | 29.04.2022 (सांकेतिक कब्जा) | शॉप एलजीके 18, निम्न भू तल, गैलेक्सी प्लाजा, प्लॉट सीएस 04 जीएच 01, गौर सिटी 1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 |

स्थानः नोएडा, तिथिः 04.05.2022 — प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.



pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com
शाखा पताः यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, भूखंड सं. 10, सेक्टर–3, वसुंधरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201011, दूरभाष सं. 120–2699117, ईमेलः ghaziabad@pnbhousing.com

**तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद ''पीएनबीएचएफएल'' के रूप में संदर्भित) ने, अपनी गाजियाबाद शाखा जिसका कार्यालय यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, भूखंड सं. 10, सेक्टर–3, वसुंधरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201011 में स्थित है, के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त मांग सूचना जो है वह हमारे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से नीचे वर्णित सभी उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ता/गारंटरों को निर्गत की गई थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आपके खाते को किस्तों/ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवासन बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उस की विषयवस्तु जो है वह मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूकें हैं। बकाया राशि का उल्लेखन नीचे किया गया है। इसके अलावा, अनेक कारणों से, हम मानते हैं कि आप मांग सूचना का पालनानुपालन करने से बच रहे हैं और इसलिए हम उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी अनिवार्य बन चुके, मांग सूचना का यह प्रकाशन कर रहे हैं। आपको एतद्द्वारा इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की एकावधि के भीतर अद्यतन ब्याज और शुल्कों के साथ उक्त राशि का पीएनबीएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। भुगतान करने में विफल होने पर पीएनबीएचएफएल जो है वह उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी प्रतिभूत परिसंपत्तियों या इनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई/उपाय करेगी जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर आधिपत्य किए जाने की कार्रवाई भी सम्मिलित होगी।
आपका ध्यानाकर्षण उस स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जब तक कि आप निजी संधि द्वारा अथवा जनता से कोटेशनें, निविदा आमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही पीएनबीएचएफएल द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के साथ बकाया धनराशियों की संपूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं/उसे चुका सकते हैं। कृपया इस जानकारी से भी अवगत हो लें कि यदि निजी संधि द्वारा अथवा जनता से कोटेशनें, निविदा आमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के साथ बकाया धनराशियों की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता हैं/उसे नहीं चुकाया जाता है तो इसके बाद आप प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को छुड़वाने के अधिकारी नहीं हो सकते।
**इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है।**

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या | उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता का नाम/पता | गारंटर का नाम/पता | बंधककृत संपत्ति | मांग सूचना की तिथि | मांग सूचना तिथि के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030 6700001997 | श्री वरुण शर्मा, श्री माखन लाल शर्मा, फ्लैट सं. जीएफ–3, भूतल, पीछे की ओर, भूखंड नं. डी–47, कौशांबी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201001, क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट, द्वितीय पताः 2एचएन–ए3/डी–47, डी–ब्लॉक, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201012 | एन.ए. | फ्लैट सं. जीएफ–3, भूतल, पीछे की ओर, भूखंड सं. डी–47, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट | 11.04.2022 | रु. 52,05,744.60 दिनांक 11 अप्रैल 2022 के अनुसार |
| 2 | HOU/GHA/ 0416/281720 | मृतक स्वर्गीय दानपति सिंह के समस्त विधिक उत्तराधिकारी, श्री राहुल सिंह पुत्र स्वर्गीय दानपति सिंह, भूखंड सं.–974, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 | एन.ए. | भूखंड सं.–974, अर्बन एस्टेट हुडा सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा–121002, क्षेत्रफल 49.50 वर्ग मीटर | 25.04.2022 | रु. 35,17,294.33 दिनांक 25 अप्रैल 2022 के अनुसार |
| 3 | HOU/GHA/ 0715/230883 | श्री मनोज खण्डेलवाल, श्रीमती ईशा खण्डेलवाल, फ्लैट सं. 403, डेंड्रा टॉवर्स, ओमेक्स नाइल्स, सोहना मार्ग, साउथ सिटी 2, गुड़गांव, हरियाणा–122018 | एन.ए. | फ्लैट सं. बंगलो सं. 04, चतुर्थ तल, वीएस–10, राइज स्काई बंगलो, भूखंड सं. 02 (ग्राम सराय ख्वाजा की राजस्व संपदा में एमसीएफ–भूमि पर), सेक्टर–41, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा–121002, क्षेत्रफल–1940 वर्ग फुट | 26.04.2022 | रु. 1,16,00,215.47 दिनांक 26 अप्रैल 2022 के अनुसार |

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 04/05/2022
(प्राधिकृत अधिकारी),
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड